रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2002/आषाढ़ 20, 1924

No. 619] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2002/ASADHA 20, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2002

का.आ. 727(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	अधिकारी/अभिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
"63.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य सचिव	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण (अधिनियम, 1981)"

[फा. सं. 1/(5)/95-पीएल]

के. सी. मिश्रा, विशेष सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ) तारीख 16-2-87 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 63(अ) तारीख 18-1-88 और का.आ. 622(अ) तारीख 3-9-1996 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2002

S.O. 727(E).—In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Section 10 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 83(E), dated the 16th February, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 16th February, 1987, namely :—

In the said notification, in the Table, after serial number 62 and the entries relating thereto, the following serial

number and entries shall be inserted, namely :—

Serial No.	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
"63.	Chairman and Member Secretary of the Central Pollution Control Board	The water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981".

[F. No. 1(5)/95-PL]

K.C. MISRA, Spl. Secy.

Note : Principal Notification was published in the Gazette of India vide notification S.O. No. 83(E) dated 16-2-87 and amended vide notification numbers S.O. 63(E) dated 18-1-88 and S.O. 622(E) dated 3-9-1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2002

का.आ. 728(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16 फरवरी, 1987 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 84(अ), तारीख 16 फरवरी, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम संख्यांक 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	अधिकारी/अभिकरण	निम्नलिखित के अधीन नियुक्त
1	2	3
"63.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य सचिव	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981"

[फा. सं. 1(5)/95-पीएल]

के. सी. मिश्रा, विशेष सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 83(अ) तारीख 16-2-87 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 63(अ) तारीख 18-1-88 और का.आ. 623(अ) तारीख 3-9-1996 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2002

S.O. 728(E).—In exercise of the powers conferred under Sub-section (1) of Section 11 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 84(E), dated the 16th February, 1987, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 16th February, 1987, namely :—

In the said notification, in the Table, after serial number 62 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Serial No.	Officer/Agency	Appointed under
1	2	3
"63.	Chairman and Member Secretary of the Central Pollution Control Board	The water (Prevention and Control of Pullution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981".

[F. No. 1(5)/95-PL]

K.C. MISRA, Spl. Secy.

Note : Principal Notification was published in the Gazette of India vide notification S.O. No. 83(E) dated 16-2-87 and amended vide notification numbers S.O. 63(E) dated 18-1-88 and S.O. 623(E) dated 3-9-1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2002

का.आ. 729(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन उसमें निहित शक्तियों को अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार, यदि उस सरकार की राय में ऐसी कार्रवाई करना लोकहित में आवश्यक हो तो शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहृत कर सकेगी या वह स्वयं उक्त धारा 20 के उपबंधों का अवलम्ब ले सकेगी।

[सं. 1(5)/95-पी एल]

के. सी. मिश्रा, विशेष सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2002

S.O. 729(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers vested in it under Section 20 of the said Act to the Chairman, Central Pollution Control Board subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself invoke the provisions of the said Section 20, if in the opinion of that Government, such a course of action is necessary in public interest.

[No. 1(5)/95-PL]

K. C. MISRA, Spl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2002

का.आ. 730(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन उसमें निहित शक्तियों को अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परिसंकटमय अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, परिसंकटमय रसायन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट भी हैं, से संबंधित मानकों या नियमों के अतिक्रमण के लिए किसी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी को निदेश जारी करने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित करती है कि केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी राय में ऐसी कार्रवाई करना लोकहित में आवश्यक हो तो, सभी राज्य सरकारों या इनमें से किसी एक के संबंध में शक्तियों को ऐसे प्रत्यायोजन को प्रतिसंहृत कर सकेगी या अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों का अवलम्ब ले सकेगी।

[सं. 1(5)/95-पी एल]

के. सी. मिश्रा, विशेष सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2002

S.O. 730(E).—In exercise of the powers conferred by Section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers vested in it under Section 5 of the said Act to the Chairman, Central Pollution Control Board to issue directions to any industry or any local or other authority for the violation of the standards and rules relating to hazardous waste, bio-medical waste, hazardous chemicals, industrial solid waste, municipal solid waste including plastic waste notified under the Environment (Protection) Act, 1986 subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers in respect of all the State Governments or any one of them or may itself invoke the provisions of Section 5 of the Act, if in the opinion of the Central Government such a course of action is necessary in public interest.

[No. 1(5)/95-PL]

K. C. MISRA, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.